न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183/2018/225 (2018/00183)

1. धनराज पुत्र श्योजराज, जाति जाट, निवासी गुजरवाड़ा, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. हजारी पुत्र रामा,
2. सायरी पत्नि धन्ना,
3. लादू पुत्र धन्ना,
   जाति जाट, नि0 गुजरवाड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 21.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 114/2014.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पारासर, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—21.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 21.12. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 414 हाल खसरा नंबर 517 रकबा 4 बीधा 10 बिस्वा भूमि ग्राम गुजरवाडा, तह0ील सरवाड़ में स्थित है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात मूल खातेदार महावीर सिंह के मध्य सहमति पूर्वक बंटवारा किए जाने के बाद तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व नक्शे में अलग—अलग रंग भरकर तरमीम की गई है । उक्त तरमीम के अनुसार अपीलांट की भूमि के लगता हुआ पूर्वी खसरा नंबर 415 के नये खसरा नंबर 511 स्थित है जो रेस्पो0 के नाम दर्ज है जिसमें आने जाने के लिये अपीलांट के पास कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 414 में

आने जाने हेतु खसरा नंबर 515 में से रास्ता दिया जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 21.12.2017 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने आधार यह बनाया कि एक तो नियमानुसार धारा 251 राज0काश्त0अधि0 के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक से नीचे के स्तर से रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा सकती थी इसलिये अधी0न्याया0 को भू–अभिलेख निरीक्षक या तहसीलदार से नई रिपोर्ट मंगवाकर आदेश पारित करना चाहिये था । यद्वपि अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी ने स्वंय मौका निरीक्षण किया किन्तु किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की है तथा बरवक्त मौका निरीक्षण अपीलांट को सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया तथा किसी आधार के वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना अपने निर्णय में अंकित किया है जो गलत है क्योंकि मौके पर अपीलांट की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 251–राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के तहत मौके की रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में मंगाया जाना आवयक है । अधी0न्याया0 ने इस प्रावधान को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट को अपने खेत खसरा नंबर 414 हाल खसरा नंबर 517 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 415 में से रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 की जानकारी नहीं थी क्योकि उसके अधिवक्ता ने उसे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रखा था कि प्रकरण में बहस हो चुकी है, निर्णय होने पर जानकारी दे देगें किन्तु उसे उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी नहीं की गई । दिनांक 26.6.2018 को प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्ता से ज्ञात हुआ कि प्रकरण को खारिज कर दिया गया है जिसकी जानकारी पत्र द्वारा दी गई थी किन्तु उक्त पत्र प्रार्थी को नहीं मिला जिससे तत्समय आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी। जानकारी होने पर अपीलांट ने आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अतः अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित होने से विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थी/अपीलांट के खेत में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इसलिये अन्य रास्ता धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत दिया जाना उचित नहीं होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा स्वंय मौके का निरीक्षण किया गया है जिसमें स्वंय अधी0न्याया0 ने यह माना है कि मौके अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को न्यायहित में सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 414 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में रेस्पोडेंटस की आराजी खसरा संख्या 415 में रास्ते का अनुतोष चाहा है । अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 414 में आवागम हेतु रेस्पो0 की आराजी संख्या 415 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा में से रास्ता उपलब्ध है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी हल्का ढोस द्वारा मौका रिपार्ट अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा दिनांक 26.4.2017 में यह अंकित किया है कि '' खसरा नंबर ग्रामवासियान एवं खातेदार कृषक ने अवगत कराया कि खसरा नंबर 414 के खातेदार कृषक अपने खेत की जुताई बुवाई के लिये खसरा नंबर 379 व 415 में से होकर जाते थे । खसरा नंबर 379 खाता संख्या 184 में मगरा, खसरा नंबर 379 रकबा 11–5–00 की किस्म 10–10–00 बरड़ा 2 पशुताल एवं 0.15 बीघा रास्ता है लेकिन खातेदार कृषक हजारी वल्द रामा, सायरी पत्नि धन्ना, लादू वल्द धन्ना कौम जाट ने खसरा नंबर 415 के खातेदार कृषक है जिन्होंने स्वंय की खातेदारी भूमि मेमं से होकर जाने वाले कदीमी रास्ते को खातेदार कृषक महावीरसिंह पुत्र पूरणसिंह राजपूत 2/3, धनराज पुत्र श्योराज कौम जाट हिस्सा 1/3 के खसरा नंबर 414 की हकाई जुताई मका एकमात्र रास्ता था जिसको अवरूद्ध कर दिया है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि खसरा नंबर 414 में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है ।'' पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट को अधी0न्याया0 द्वारा भू–अभिलेख स्तर से नीचे के स्तर के पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने से स्वीकार नहीं किया है । जब अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी । यद्यपि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का उल्लेख कर खसरा नंबर 414 में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते का अंकन किया है किन्तु उक्त वैकल्पिक रास्ता कौन से खसरा नंबर में है यह अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा मौका निरीक्षण पक्षकारों की मौजूदगी में किये जाने का भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की भूमि पर जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते का अंकन कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । हाजा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा भी अपीलांट की भूमि में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है । इसके अभाव में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे

तहसीलदार, सरवाड़ से विवादित रास्ते के संबंध में स्वंय तहसीलदार, सरवाड़ से उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट तैयार प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर